

प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट
5 days “Investigation of Organized Crime”
(For Sub-Inspector to Dy. S.P.)
दिनांक 15-03-2021 से 19-03-2021
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।



राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 15-03-2021 से 19-03-2021 “Investigation of Organized Crime” विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस हॉल 04 में आयोजित किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा, आईपीएस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 17 प्रतिभागियों जिसमें 02 पुलिस निरीक्षक 14 उप निरीक्षक 01 सहायक उप निरीक्षक ने भाग लिया।

दिनांक 15-03-2021, 10:00-10:30 AM तक पंजीकरण एवं कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स का परिचय दिया गया। प्रथम दिन के प्रथम सत्र में श्री रमेश कुमार, पीओ ने FIR & Prosecution in serious Organized crimes. Comparative view of various legislation in different State, laws on quash of FIR पर अपना व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए ने PIT NDPS Act. / NDPS Act, Emerging trend in drug crime and synthetic drugs. Key Reasons for Acquittal पर विस्तार से चर्चा की। तृतीय सत्र में सुश्री रीमा सेनी, साइबर कन्सलटेन्ट ने Investigation of Cyber crime. Reference of OLX & Quicker (Mewat Area) पर विस्तार से बताया।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र में श्री नरपत सिंह राठोड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सेवानिवृत्त) ने Investigation of Arms smuggling पर व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्री अरविंद कुमार शुक्ला, एएलए, प्रवर्तन निदेशालय, जयपुर ने Investigation of PML Act, 2002 पर व्याख्यान दिया।

तृतीय सत्र में श्री संजीव भटनागर, अति० पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (सीबी), पीएचक्यू, जयपुर ने Different criminal Gangs & their modus operandi, Emerging trends in Rajasthan, Inter State coordination. Arms smuggling / Gun Running case study पर अपना व्याख्यान दिया।

तृतीय दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री गिरवर सिंह, आरटीएस (सेवानिवृत्त) ने भूमि धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों की जांच - डबल पट्टा, जाली समझौते आदि एवं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट (टीपीए), पावर ऑफ अटॉर्नी, वसीयत, भूमि संबंधी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ संबंधित विवादों पर विस्तार से चर्चा की। तृतीय सत्र में डॉ. आर.एस. शर्मा, अति. निदेशक, (सेवानिवृत्त) एफएसएल ने साक्ष्य संग्रह / संकलन और दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्य के संग्रह की कला पर विस्तार से बताया।

चतुर्थ दिन के प्रथम सत्र में श्री राकेश मोहन शर्मा, जेल अधीक्षक-१, जयपुर ने “Organize Crime in Jail premises” Running Crime Syndicate from Prisons पर अपना व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्री शांतनु कुमार सिंह, आईपीएस, एस.पी., सी.आई.डी. (सुरक्षा) राजस्थान ने Over view of Organized Crime : Various concepts, types & Recent Trends with case Study पर विस्तार से बताया। तृतीय सत्र में श्री ओमप्रकाश, उप अधीक्षक पुलिस (सेवानिवृत्त) ने Legal Provisions for Child Trafficking/Human Trafficking & Kidnapping, Investigations with latest case study पर अपना व्याख्यान दिया।

अंतिम दिन के प्रथम और द्वितीय सत्र में श्री विद्याप्रकाश, अति पुलिस अधीक्षक (बीपीआरएण्डडी) आरपीए, जयपुर ने Investigation of Liquor Mafia, Case Study of Organized Crime (Anand Pal Gang) पर अपना व्याख्यान दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तिम सत्र में 03:00 पीएम पर कोर्स निदेशक एवं श्री रेवन्तदान, सहायक निदेशक (इण्डोर) द्वारा प्रतिभागियों से इन्वेस्टिगेशन ऑर्गनाइज क्राइम विषय पर चर्चा के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। कोर्स निदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पश्चात कोर्स विधिवत सम्पन्न हुआ।